



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042022-234851
CG-DL-E-05042022-234851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1570]
No. 1570]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

(आय-कर)

का.आ. 1642(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245डक की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम ई-विवाद संकल्प स्कीम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं--(1) इस स्कीम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में नियत है ;

(ग) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में नियत है ;

- (घ) “कंप्यूटर संसाधन” का वहीं अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में नियत है ;
- (ङ) “कंप्यूटर प्रणाली” का अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में नियत है ;
- (च) “निर्धारिती का कंप्यूटर संसाधन” में निर्धारिती का आय-कर विभाग के अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत खाता, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ मोबाइल ऐप या उसके ई-मेल सेवा प्रदाता के साथ निर्धारिती का रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता शामिल है ;
- (छ) “अंकीय चिह्नक” का वहीं अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में नियत है ;
- (ज) “नामनिर्दिष्ट पोर्टल” से आय-कर (प्रणाली) के प्रधान महानिदेशक या आय कर (प्रणाली) के महानिदेशक, जैसी स्थिति हो द्वारा जैसा कि वेब पोर्टल में नामनिर्दिष्ट है, अभिप्रेत है ;
- (झ) “विवाद समाधान समिति” से आय-कर नियम, 1962 के साथ पठित अधिनियम की धारा 245डक की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार गठित विवाद समाधान समिति अभिप्रेत है ;
- (ञ) “इलेक्ट्रानिक अभिलेख” का वहीं अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में नियत है ;
- (ट) “ई-मेल” या “इलेक्ट्रानिक मेल” और “इलेक्ट्रानिक डाक संदेश” से कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति पर निर्मित या प्रेषित या प्राप्त संदेश या सूचना से है, जिसमें पाठ, प्रतिबिंब, श्रव्य, दृश्य और किसी अन्य इलेक्ट्रानिक अभिलेख शामिल है, अभिप्रेत है ;
- (ठ) “उपांतरित आदेश” से विवाद समाधान समिति के समाधान के आदेश को प्रभाव देने के लिए निर्धारण करने वाले अधिकारी द्वारा पारित आदेश अभिप्रेत है ;
- (ड) “विवाद समाधान समिति का शासकीय ई-मेल” से पीआर.डीजीआईटी (प्रणाली) या डीजीआईटी (प्रणाली), जैसी भी स्थिति हो द्वारा प्रत्येक विवाद समाधान समिति के विवाद समाधान के प्रयोजनों के लिए आंबटित ई-मेल अभिप्रेत है ;
- (ढ) निर्धारिती के “रजिस्ट्रीकृत खाता” से नामनिर्दिष्ट पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाता अभिप्रेत है ;
- (ण) “रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता” से ऐसा ई-मेल पता जिस पर इलेक्ट्रानिक संसूचना को प्रेषिती को परिदत्त या भेजा जा सके अभिप्रेत है जिसमें :--
- (i) अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत प्रेषिती के इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाते में उपलब्ध ई-मेल पता; या
 - (ii) प्रेषिती द्वारा दी गई अंतिम आयकर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता; या
 - (iii) प्रेषिती से संबंधित स्थायी खाता संख्या डाटाबेस में उपलब्ध ई-मेल पता; या
 - (iv) यदि प्रेषिती एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटाबेस में उपलब्ध प्रेषिती का ई-मेल पता, आधार संख्या रखता है; या
 - (v) यदि प्रेषिती एक कंपनी है तब कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट पर यथा उपलब्ध कंपनी का ई-मेल पता; या
 - (vi) कोई ई-मेल पता जो प्रेषिती द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया हो;

(त) निर्धारिती का "रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर" से अभिहित पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाता के यूजर प्रोफाइल में दर्शित होने वाला निर्धारिती का, या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नंबर अभिप्रेत है;

(थ) "नियम" से आय-कर नियम, 1962 अभिप्रेत है;

(द) "विनिर्दिष्ट शर्तों" से अधिनियम की धारा 245डक के स्पष्टीकरण के खंड (क) में संदर्भित विनिर्दिष्ट शर्त अभिप्रेत है;

(ध) "विनिर्दिष्ट आदेश" से अधिनियम की धारा 245डक के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में संदर्भित विनिर्दिष्ट आदेश अभिप्रेत है;

(न) "वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी" से वास्तविक समय में लोगों के बीच संचार के लिए, विभिन्न स्थानों पर उपयोगकर्ताओं द्वारा दृश्य-श्रव्य सिग्नलों के ग्रहण करने और प्रसारण के लिए तकनीकी समाधान अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

3. स्कीम का विस्तार:- इस स्कीम के अधीन विवाद का समाधान बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश में किसी फेरफार से उत्पन्न विवाद के संबंध में अधिनियम के अध्याय 19 – कक के अधीन विवाद के समाधान के लिए किए गए आवेदनों पर विवाद समाधान समिति द्वारा किया जाए।

4. विवाद समाधान के लिए प्रक्रिया :- (1) विवाद समाधान के लिए आवेदन, जैसे कि पैरा 3 में यथा संदर्भित है, निम्नलिखित रीति से बरता जाएगा, अर्थात :-

विवाद समाधान के लिए आवेदन

(i) निर्धारिती जो विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, किसी भी विनिर्दिष्ट आदेश के संबंध में, विवाद समाधान के लिए निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के क्षेत्र के लिए नामित विवाद समाधान समिति को, इलेक्ट्रानिक रूप से एक आवेदन फाइल कर सकता है।

(ii) नियम 44 घ क ख में संदर्भित प्ररूप संख्या 34ख ग में आवेदन फाइल किया जाएगा :

(क) विवाद समाधान समिति के गठन की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जैसे कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता हो, उन मामलों के लिए जहां अपील पहले से ही फाइल को जा चुकी है और आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है; अथवा

(ख) अन्य मामलों में, विनिर्दिष्ट आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर,

(iii) आवेदन ई-मेल द्वारा विवाद समाधान समिति के प्राधिकृत ई-मेल पर लौटाए गए आप पर कर के भुगतान के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, यदि उपलब्ध हो और जैसा कि नियम 44 घ क ख के उपनियम (2) में यथा उल्लिखित एक हजार रूपए की फीस के साथ है।

अवेदन की छटनी

(iv) विवाद समाधान समिति विनिर्दिष्ट अदेश के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और मानदंड के संबंध में आवेदन की परीक्षा करेगा;

(v) इस तरह की परीक्षा पर विवाद समाधान समिति, जहां यह विचार किया जाता है कि विवाद समाधान के लिए आवेदन खारिज का दिया जाएगा, निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस दी जाएगी कि उसका आवेदन क्यों न खारिज कर दिया जाए, उत्तर फाइल करने के लिए तारीख और समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा,

- (vi) विवाद समाधान समिति, निर्धारित के अनुरोध पर, उसे वीडियो टेलीफोनी या वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा जहां तक तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, के माध्यम से सुनवायी का अवसर प्रदान करेगी;
- (vii) निर्धारिती, खंड (v) में संदर्भित कारण बताओ नोटिस का उत्तर विनिर्दिष्ट तारीख और समय में भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जो इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर विवाद समाधान समिति के लिए अनुमति दी जा सकती है;
- (viii) विवाद समाधान समिति, खंड (vii) में निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करने के पश्चात् आवेदन को अस्वीकार कर सकती है या खंड (ix) से (xiv) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गुणागुण के आधार पर आवेदन को विनिश्चय करने के लिए आगे बढ़ा सकती है और जहां ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया गया है आवेदन को निरस्त कर देगी;
- (ix) विवाद समाधान समिति का निर्णय कि विवाद समाधान के लिए आवेदन को आगे बढ़ाने या अस्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए, निर्धारिती को उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर संसूचित किया जाएगा,
- (x) निर्धारित को संसूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, कि आवेदन को खंड (ix) में यथा संदर्भित को स्वीकार किया जाता है, को अधिनियम की धारा 246 क के अधीन फाइल अपील को वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या विवाद समाधान पैनल के समक्ष आवेदन को वापस लिया जाएगा, यदि कोई हो, विवाद समाधान समिति या हस्तांतरित कि उनके मामले में कोई पूर्वोक्त कार्यवाही लंबित नहीं है, ऐसा न करने पर विवाद समाधान समिति आवेदन को अस्वीकार कर सकती है।

विवाद समाधान समिति द्वारा अनुसरण का जाने वाली प्रक्रिया

- (xi) विवाद समाधान समिति, खंड (ix) में तथा संदर्भित आवेदन ग्रहण करने पर और खंड (x) में निर्धारिती के उत्तर की प्राप्ति के पश्चात्, आपका प्राधिकारी से अभिलेख की मांग कर सकती है और आवेदन में शामिल मुद्दों के सदर्थ में, जैसा वह ठीक समझे आगे की जांच कर सकती है,
- (xii) विवाद समाधान समिति, आवेदन में शामिल मुद्दों पर निर्धारिती अधिकारी से रिपोर्ट या कार्यवाही के दौरान उद्भूत कोई अन्य मुद्दों की मांग कर सकेगी;
- (xiii) विवाद समाधान समिति, आवेदन के निपटारा करने से पूर्व, निर्धारिती से आगे की सूचना या उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता में किसी व्यक्ति द्वारा ई-मेल भेजकर मांग सकेगी;
- (xiv) निर्धारिती, विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर जिसे इस निमित्त एक आवेदन के आधार पर विवाद समाधान समिति द्वारा बढ़ाया जा सकता है, विवाद समाधान समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगा;
- (xv) विवाद समाधान समिति, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जिसमें निर्धारिती से प्राप्त कोई और जानकारी या साक्ष्य सम्मिलित है, आयकर प्राधिकरण या कोई अन्य व्यक्ति, विनिश्चय ले सकता है -
- (क) विनिर्दिष्ट आदेश में विभिन्नताओं में उपांतरण करने के लिए, जो निर्धारिती के हित के प्रतिकूल नहीं हैं, और नियम 44घकग के उपबंधों के अनुसार शास्ति की छूट और अभियोजन से उन्मुक्ति का विनिश्चय, और तदनुसार संकल्प का आदेश पारित करें; या
- (ख) विनिर्दिष्ट आदेश में विभिन्नताओं में उपांतरण नहीं करने के लिए, किंतु तथापि नियम 44घकग के उपबंधों के अनुसार शास्ति की छूट और अभियोजन से उन्मुक्ति का विनिश्चय ले सकता है, और तदनुसार संकल्प का एक आदेश पारित करें जिसे 'निर्धारिती का हित प्रतिकूल नहीं' आदेश के रूप में माना जाएगा; या
- (ग) विनिर्दिष्ट आदेश में विभिन्नताओं में उपांतरण नहीं करने के लिए, और आवेदन का निपटारा करने के लिए एक आदेश पारित करना, जिसे 'निर्धारिती का हित प्रतिकूल नहीं' आदेश के रूप में माना जाएगा,

मास की समाप्ति से छह महीने के भीतर जिसमें विवाद समाधान के लिए आवेदन खंड (viii) के अनुसार विवाद समाधान समिति द्वारा स्वीकार किया जाता है;

(xvi) विवाद समाधान समिति यथास्थिति, निर्धारिती पर आवेदन के संकल्प के आदेश या निपटान करने के आदेश की एक प्रति और यदि अपेक्षित हो, तो उसे प्रभावी करने के लिए निर्धारण अधिकारी को भी प्रदान करेगी;

(xvii) जहां विनिर्दिष्ट आदेश, अधिनियम की धारा 144ग की उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती का आदेश है, निर्धारिती विवाद समाधान पैनल के किसी संदर्भ या उपांतरित आदेश के विरुद्ध आयुक्त को कोई भी अपील (अपील) फाइल करने के लिए पात्र नहीं होगा;

(xviii) निर्धारण अधिकारी को मांग का संदाय करने के लिए निर्धारिती पर एक तारीख विनिर्दिष्ट करने की मांग की सूचना के साथ उपांतरित आदेश की एक प्रति तामील करनी होगी;

(xix) निर्धारिती, विवाद समाधान समिति और निर्धारण अधिकारी को भी उक्त मांग के संदाय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा;

(xx) विवाद समाधान समिति, नियम 44घकग के उपबंधों के अनुसार लिखित रूप में एक आदेश द्वारा, मांग के संदाय की पुष्टि की प्राप्ति पर, अभियोजन से छूट और शास्ति से छूट, यदि लागू हो प्रदान करेगी।

(2) विवाद के समाधान के लिए विवाद समाधान समिति का आदेश अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा।

(3) उप-पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विवाद समाधान समिति विवाद समाधान की कार्यवाही के किसी भी चरण में, यदि आवश्यक समझे, कारणों को लेखबद्ध करके और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निर्धारिती, विवाद समाधान कार्यवाही को समाप्त करने का विनिश्चय करते हैं यदि,-

(i) निर्धारिती, विवाद समाधान कार्यवाही के दौरान सहयोग करने में विफल रहता है; या

(ii) निर्धारिती, उसके द्वारा जारी की गई किसी नोटिस का प्रतिउत्तर देने में विफल रहता है, या उसके जवाब में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करता है; या

(iii) समिति का यह समाधान होता है कि निर्धारिती ने कार्यवाही के लिए कोई सामग्री विवरण छुपाया है या झूठे साक्ष्य दिए थे।

(iv) निर्धारिती पैरा 4 के उप-पैरा(1) के खंड (xviii) में अपेक्षित मांग का भुगतान करने में विफल रहता है।

(4) जहां उप-पैरा (3) के अनुसार विवाद समाधान की कार्यवाही समाप्त की जाती है, वहाँ विवाद समाधान समिति अधिनियम के उपबंधों के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आयकर प्राधिकरण को सूचित करेगी।

(5) जहां आवेदन को पैरा 4 के उप-पैरा (1) के खंड (viii) में यथा निर्दिष्ट कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी गई है, निर्धारिती आयुक्त(अपील) को अपील फाइल कर सकते हैं और विवाद समाधान समिति द्वारा विनिश्चय लेने में लगने वाली प्रवेश अवधि ऐसी अपील फाइल करने के लिए उपलब्ध अवधि से बाहर रखा जाएगा।

5. विवाद समाधान समिति की शक्तियां.- (1) विवाद समाधान समिति नियम 44घकग में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर अधिनियम के उपबंधों से अभियोजन से उन्मुक्ति और शास्ति से छूट प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) विवाद समाधान समिति के समक्ष किसी भी कार्यवाही को धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और भारतीय दंड संहिता की धारा 196 (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही के रूप में समझा जाएगा और प्रत्येक आयकर प्राधिकरण धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय होगा किंतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए नहीं माना जाएगा।

(3) यदि विवाद समाधान समिति के किसी आदेश को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, यह स्वयं के प्रस्ताव पर यथास्थिति, प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त के माध्यम से, निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर कठिनाई को दूर कर सकता है जहां तक यह अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत नहीं है।

6. आरोपित शास्ति से छूट और अभियोजन से उन्मुक्ति-विवाद समाधान समिति, पैरा (4)के उप-पैरा (1) के खंड (xix) के अनुसारसंदाय के सबूत के प्राप्त होने पर,उस व्यक्ति को अनुदान देगा जिसने अधिनियम की धारा 245डक के अधीन विवाद समाधान के लिए आवेदन किया है,नियम 44घकग के अनुसार इस अधिनियम के अधीन शास्ति से छूट या अभियोजन से उन्मुक्ति या दोनों से छूट मिलेगी।

7. अपील या पुनर्विलोकन - उपांतरित आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा।

8. फाइल किया जाने वाला प्राधिकरण- निर्धारिती के लिए उपस्थित होने वाला एक अधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुनवाई आरंभ होने से पूर्व, एक दस्तावेज फाइल करेगा उसे निर्धारिती के लिए उपस्थित होने के लिए अधिकृत करना और यदि वह निर्धारिती का रिश्तेदार है,तो दस्तावेज निर्धारिती के साथ अपने संबंधों की प्रकृति का उल्लेख करेगा,या यदि निर्धारिती द्वारा वह नियमित रूप से एक व्यक्ति है उस क्षमता को नियोजित किया जाता है जिसमें वह उस समय नियोजित होता है।

9. विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा संसूचना का आदान-प्रदान - इस स्कीम के प्रयोजन के लिए,-

(क) यथास्थिति, विवाद समाधान समिति और निर्धारिती या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि के बीच सभी संसूचना का विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा साध्य तकनीकी रूप से व्यवहार्य रूप से आदान-प्रदान किया जाएगा,और

(ख) विवाद समाधान समिति,या किसी आयकर प्राधिकरण के बीच सभी आंतरिक संसूचना का विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा आदान-प्रदान किया जाएगा।

10. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण- इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द्वारा -

(i) यथास्थिति, विवाद समाधान समिति,प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त,अपने डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर प्रमाणित किया जाएगा;

(ii) निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, अपने डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर यदि अपेक्षित हो तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियमों के अधीन,और अपने रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते के माध्यम से संसूचना द्वारा अन्य मामला में प्रमाणित किया जाएगा।

11. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वितरण-(1) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना,निर्धारिती होने के नाते या किसी अन्य व्यक्ति को, निम्नलिखित के माध्यम से निर्धारिती को दिया जाएगा -

(क) यथास्थिति,निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत खाता केपास उसकी एक प्रमाणित प्रति रखना; या

(ख) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति,या उसका अधिकृत प्रतिनिधि रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते पर इसकी एक प्रमाणित प्रति भेजना।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना वास्तविक समय सतर्कता द्वारा अपनाते हुए ऐसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते पर, उसकी एक प्रमाणित प्रति भेजकर,किसी अन्य व्यक्ति होने के नाते,पता करने वाले को दिया जाता है।

(3) यथास्थिति,निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति,विवाद समाधान समिति के शासकीय ई-मेल के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत खाता के माध्यम से, इस स्कीम के अधीन नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के लिए अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करेगा,और एक बार पावती विवाद समाधान समिति द्वारा भेजी जाती है,प्रतिउत्तर को प्रमाणित किया गया माना जाएगा।

(4) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

12. विवाद समाधान समिति के समक्ष कोई व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं—(1) एक व्यक्ति से विवाद समाधान समिति या आयकर प्राधिकरण के समक्ष इस स्कीम के अधीन व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी भी कार्यवाही के संबंध में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति या उसका अधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं जिससे विवाद समाधान समिति के समक्ष अपना मौखिक निवेदन कर सकें या अपना मामला पेश कर सकें।---

(3) विवाद समाधान समिति उप-पैरा(2) में यथा निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार कर सकती है।

(4) जहां व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध को विवाद समाधान द्वारा अनुमोदित किया गया हो समिति, ऐसी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, हद तक बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी रूप से व्यवहार्य के विस्तार के लिए जिसमें कोई भी दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो वीडियो टेलीफोनी का समर्थन करता है का उपयोग भी सम्मिलित है।

(5) बोर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त सुविधाओं की स्थापना करेगा जिसके अंतर्गत दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो ऐसे स्थानों पर वीडियो टेलीफोनी का समर्थन करता है जो आवश्यक समझी जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती, या उसका अधिकृत प्रतिनिधि या कोई भी अन्य व्यक्ति इस स्कीम के लाभ से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि ऐसा निर्धारिती या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, या किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने भाग में सम्मेलन वीडियो तक पहुंच नहीं है, सम्मिलित हैं।

13. कार्यवाही जनता के लिए खुली नहीं है- विवाद समाधान समिति के समक्ष

जनता के लिए कार्यवाही खुली नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति (निर्धारिती के अलावा, उसका कर्मचारी, विवाद समाधान समिति या आयकर प्राधिकरण या अधिकृत प्रतिनिधि के संबंधित अधिकारी), विवाद समाधान समिति की अनुमति के बिना, ऐसी कार्यवाही के दौरान यद्यपि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी पर भी उपस्थित रहें।

14. विवाद समाधान समिति की भाषा—(1) विवाद समाधान समिति की भाषा निर्धारिती के विकल्प पर हिंदी या अंग्रेजी होगी।

(2) जहां कोई दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, वहां एक अंग्रेजी अनुवाद उसके साथ भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(3) संकल्प आदेश और विवाद समाधान समिति द्वारा पारित कोई अन्य आदेश

विवाद समाधान समिति के विवेक पर हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है।

15. प्रारूप, पद्धति, प्रक्रिया और प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति- यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली)/ आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), क्षेत्राधिकार प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या प्रधान आयकर महानिदेशक के परामर्श से, विवाद समाधान समिति के प्रभारी और बोर्ड के अनुमोदन से मानकों, प्रक्रियाओं और इस स्कीम के अधीन विवाद समाधान समितियों के प्रभावी क्रियाकलाप के लिए स्वचालित और मशीनीकृत वातावरण में जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में प्रक्रियाएं, प्रारूप, पद्धति और प्रक्रियाओं को अधिकथित करेगा अर्थात्: -

(i) आदेश या किसी अन्य संसूचना की सेवा;

(ii) प्रतिउत्तर में व्यक्ति से कोई सूचना या दस्तावेज प्राप्त करना

नोटिस, आदेश या कोई अन्य संचार;

(iii) विवाद समाधान समिति को शासकीय ईमेल-आईडी जारी करना;

(iv) व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर की पावती जारी करना;

- (v) लॉगिन खाता सुविधा, ट्रैकिंग सहित "ई-कार्यवाही" सुविधा का उपबंध विवाद समाधान कार्यवाही की स्थिति,सुसंगत विवरण का प्रदर्शन और यदि अपेक्षित हो तो डाउनलोड करने की सुविधा;
- (vi) सूचना और प्रतिक्रिया तक पहुंच,सत्यापन और प्रमाणीकरण विवाद समाधान कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों सहित;
- (vii) एक केंद्रीकृत रीति में सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति,भंडारण और पुनर्प्राप्ति; और
- (viii) विवाद समाधान समितियाँ के संबंध में साधारण प्रशासन और शिकायत निवारण तंत्र ।

[अधिसूचना सं. 27/2022/फा. सं. 370142/05/2022-टीपीएल-भाग 1(भाग 1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधायन

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2022

(INCOME-TAX)

S.O. 1642(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 245MA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the e-Dispute Resolution Scheme, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (b) “addressee” shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (c) “authorised representative” shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (2) of section 288 of the Act;
- (d) “computer resource” shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (e) “computer system” shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (f) “computer resource of assessee” shall include assessee’s registered account in designated portal of the Income-tax Department, the Mobile App linked to the registered mobile number of the assessee, or the registered email address of the assessee with his email service provider;
- (g) “digital signature” shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (h) “designated portal” means the web portal designated as such by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be;
- (i) “Dispute Resolution Committee” means the Dispute Resolution Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 245MA of the Act read with rule 44DAA of the Income-tax Rules, 1962;

- (j) “electronic record” shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (k) “email” or “electronic mail” and “electronic mail message” means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message;
- (l) “modified order” means an order passed by the assessing officer to give effect to the order of resolution of the Dispute Resolution Committee;
- (m) “Official email of the Dispute Resolution Committee” means the email allocated for the purpose of dispute resolution to each Dispute Resolution Committee by the Pr. DGIT (Systems) or DGIT (Systems), as the case may be;
- (n) “registered account” of the assessee means the electronic filing account registered by the assessee in designated portal;
- (o) “registered e-mail address” means the e-mail address at which an electronic communication may be delivered or transmitted to the addressee, including-
- (i) the email address available in the electronic filing account of the addressee registered in the designated portal; or
 - (ii) the e-mail address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or
 - (iii) the e-mail address available in the permanent account number database relating to the addressee; or
 - (iv) in the case of addressee being an individual who possesses the Aadhaar number, the e-mail address of addressee available in the database of Unique Identification Authority of India; or
 - (v) in the case of addressee being a company, the e-mail address of the company as available on the official website of Ministry of Corporate Affairs; or
 - (vi) any e-mail address made available by the addressee to the income-tax authority or any person authorised by such authority;
- (p) “registered mobile number” of the assessee means the mobile number of the assessee, or his authorised representative, appearing in the user profile of the electronic filing account registered by the assessee in the designated portal;
- (q) “Rules” means the Income-tax Rules, 1962;
- (r) “specified conditions” means the specified conditions referred to in clause (a) of the Explanation to section 245MA of the Act;
- (s) “specified order” means the specified order referred to in clause (b) of the Explanation to section 245MA of the Act;
- (t) “video conferencing or video telephony” means the technological solutions for the reception and transmission of audio-video signals by users at different locations, for communication between people in real-time.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Scope of the Scheme.— The dispute resolution under this Scheme shall be made by the Dispute Resolution Committee on applications made for dispute resolution under Chapter XIX-AA of the Act in respect of dispute arising from any variation in the specified order by such persons or class of persons, as may be specified by the Board.

4. Procedure in dispute resolution.— (1) The application for dispute resolution, as referred to in paragraph 3, shall be dealt with in the following manner, namely:—

Application for dispute resolution

- (i) the assessee who fulfils the specified conditions may, in respect of any specified order, file an application electronically for dispute resolution to the Dispute Resolution Committee designated for the region of Principal Chief Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the assessee;
- (ii) the application shall be filed in the Form No. 34BC referred to in rule 44DAB:
 - (a) within such time from the date of constitution of the Dispute Resolution Committee, as may be specified by the Board, for cases where appeal has already been filed and is pending before the Commissioner (Appeals); or
 - (b) within one month from the date of receipt of specified order, in any other case;
- (iii) the application shall be submitted by email to the official email of the Dispute Resolution Committee alongwith proof of payment of tax on the returned income, if available and accompany a fee of one thousand rupees as mentioned in sub-rule (2) of rule 44DAB.

Screening of application

- (iv) the Dispute Resolution Committee shall examine the application with respect to the specified conditions and criteria for specified order;
- (v) upon such examination the Dispute Resolution Committee, where it considers that the application for dispute resolution should be rejected, shall serve a notice calling upon the assessee to show cause as to why his application should not be rejected, specifying a date and time for filing a response;
- (vi) the Dispute Resolution Committee shall, on a request by the assessee, provide him an opportunity of being heard through video telephony or video conferencing facility, to the extent technologically feasible;
- (vii) the assessee shall furnish a response to the show-cause notice referred to in clause (v) within the specified date and time or such extended time as may be allowed on the basis of application made in this behalf, to the Dispute Resolution Committee;
- (viii) the Dispute Resolution Committee may, after considering the response furnished by the assessee in clause (vii), reject the application or proceed to decide the application on merits in accordance with the procedure laid out in clauses (ix) to (xiv) and where no such response is furnished reject the application;
- (ix) the decision of the Dispute Resolution Committee that the application for dispute resolution should be allowed to be proceeded with or rejected, shall be communicated to the assessee on his registered e-mail address;
- (x) the assessee shall, within thirty days of receipt of the communication that the application is admitted as referred to in clause (ix), be required to submit a proof of withdrawal of appeal filed under section 246A of the Act or withdrawal of application before the Dispute Resolution panel, if any, to the Dispute Resolution Committee or convey that there is no aforesaid proceeding pending in his case, failing which the Dispute Resolution Committee may reject the application.

Procedure to be followed by Dispute Resolution Committee

- (xi) the Dispute Resolution Committee may, upon admission of the application, as referred to in clause (ix), and subsequent to the receipt of the response of the assessee in clause (x), call for records from the income-tax authority and further examine, as it may deem fit, with respect to the issues covered in the application;
- (xii) the Dispute Resolution Committee may seek a report from the assessing officer on the issues covered in the application or on any other issue arising during the course of proceedings;

- (xiii) the Dispute Resolution Committee may before disposing off the application, call for further information from the assessee or any other person by sending an email to his registered email address;
- (xiv) the assessee shall electronically submit its response to the Dispute Resolution Committee, within the time specified or such time as may be extended by the Dispute Resolution Committee on the basis of an application in this behalf;
- (xv) the Dispute Resolution Committee may, after considering the material available on record, including any further information or evidence received from the assessee, income-tax authority or any other person, may decide —
 - (a) to make modifications to the variations in specified order, which are not prejudicial to the interest of the assessee, and decide for waiver of penalty and immunity from prosecution in accordance with the provisions of rule 44DAC, and pass an order of resolution accordingly; or
 - (b) to not make modifications to the variations in the specified order, but however may decide for waiver of penalty and immunity from prosecution provisions in accordance with the provisions of rule 44DAC, and pass an order of resolution accordingly, which shall be treated as an order not prejudicial to the interest of the assessee; or
 - (c) to not make any modification to the specified order, and pass an order disposing off the application, which shall be treated as an order 'not prejudicial to the interest of the assessee,

within six months from the end of the month in which application for dispute resolution is admitted by the Dispute Resolution Committee as per clause (viii);

- (xvi) the Dispute Resolution Committee shall serve a copy of the order of resolution or order disposing off the application, as the case may be, upon the assessee and also the assessing officer for giving effect to the same, if so required;
- (xvii) where the specified order is an order of the eligible assessee as referred to in sub-section (1) of section 144C of the Act, the assessee shall not be eligible to file any reference to the Dispute Resolution Panel or an appeal to the Commissioner (Appeals) against the modified order;
- (xviii) the assessing officer shall serve a copy of the modified order along with notice of demand upon the assessee specifying a date for making payment of demand;
- (xix) the assessee shall, furnish proof of payment of the said demand to the Dispute Resolution Committee and also to the assessing officer;
- (xx) the Dispute Resolution Committee shall, on receipt of confirmation of payment of demand, by an order in writing, grant immunity from prosecution and waiver of penalty if applicable, in accordance with the provisions of rule 44DAC.

(2) The order of the Dispute Resolution Committee for the resolution of a dispute shall be in accordance with the provisions of the Act.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Dispute Resolution Committee may at any stage of the dispute resolution proceedings, if considered necessary, for reasons to be recorded in writing and after giving an opportunity of being heard to the assessee, decide to terminate the dispute resolution proceedings if,—

- (i) the assessee fails to cooperate during the course of dispute resolution proceedings; or
- (ii) the assessee fails to respond to, or submit any information in response to, a notice issued to him; or
- (iii) the Committee is satisfied that the assessee has concealed any particular material to the proceedings or had given false evidence.

(iv) the assessee fails to pay the demand as required in clause (xviii) of sub-paragraph (1) of paragraph 4.

(4) Where the dispute resolution proceedings are terminated as per sub-paragraph (3), the Dispute Resolution Committee shall intimate the income-tax authority for taking necessary action as per the provisions of the Act.

(5) Where the application has not been allowed to be proceeded with as referred to in clause (viii) of sub-paragraph (1) of paragraph 4, the assessee may file an appeal to the Commissioner (Appeals) and the period taken by the Dispute Resolution Committee in deciding on the admission shall be excluded from the period available to file such appeal.

5. Powers of the Dispute Resolution Committee.- (1) The Dispute Resolution Committee shall have the power to waive penalty or grant immunity from the prosecution provisions of the Act on fulfilment of conditions specified in rule 44DAC.

(2) Any proceedings before the Dispute Resolution Committee shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and every income-tax authority shall be deemed to be a Civil Court for the purposes of section 195, but not for the purposes of Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(3) If any difficulty arises in giving effect to any order of the Dispute Resolution Committee, it may, on its own motion or on an application made by the assessee or the assessing officer through the Principal Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax, as the case may be, remove the difficulty insofar as it is not inconsistent with the provisions of the Act.

6. Waiver of penalty imposable and Immunity from prosecution.- The Dispute Resolution Committee shall, upon receipt of proof of payment as per clause (xix) of sub-paragraph (1) of paragraph 4, grant to the person who made the application for dispute resolution under section 245MA of the Act, waiver of penalty imposable or immunity from prosecution or both under this Act in accordance with the rule 44DAC.

7. Appeal or revision. – No appeal or revision shall lie against the modified order.

8. Authorisation to be filed.- An authorised representative appearing for the assessee at the hearing shall electronically file, before the commencement of the hearing, a document authorising him to appear for the assessee and if he is a relative of the assessee, the document shall state the nature of his relationship with the assessee, or if he is a person regularly employed by the assessee the capacity in which he is at the time employed.

9. Exchange of communication exclusively by electronic mode.— For the purposes of this Scheme,-

(a) all communications between the Dispute Resolution Committee and the assessee or the authorised representative of the assessee or any other person, as the case may be, shall be exchanged exclusively by electronic mode, to the extent technologically feasible; and

(b) all internal communications between the Dispute Resolution Committee, or any income-tax authority shall be exchanged exclusively by electronic mode.

10. Authentication of electronic record.— For the purposes of this Scheme, an electronic record shall be authenticated by the—

(i) Dispute Resolution Committee, the Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax, as the case may be, by affixing its digital signature;

(ii) assessee or any other person, by affixing his digital signature if he is required under the Rules to furnish his return of income under digital signature, and in any other case by communicating through his registered email address.

11. Delivery of electronic record.—(1) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being the assessee or any other person, by way of-

(a) placing an authenticated copy thereof in the assessee's or any other person's registered account, as the case may be; or

(b) sending an authenticated copy thereof to the registered email address of the assessee or any other person, as the case may be, or his authorised representative.

(2) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being any other person, by sending an authenticated copy thereof to the registered email address of such person, followed by a real time alert.

(3) The assessee or any other person, as the case may be, shall furnish his response to any notice or order or any other electronic communication, under this Scheme, through his registered account, to the official e-mail of the Dispute Resolution Committee and once an acknowledgement is sent by the Dispute Resolution Committee, the response shall be deemed to be authenticated.

(4) The time and place of dispatch and receipt of electronic record shall be determined in accordance with the provisions of section 13 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

12. No personal appearance before the Dispute Resolution Committee.—(1) A person shall not be required to appear either personally or through authorised representative in connection with any proceedings under this Scheme before the Dispute Resolution Committee or income-tax authority.

(2) The assessee or any other person, as the case may be, or his authorised representative, may request for personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the Dispute Resolution Committee.

(3) The Dispute Resolution Committee may approve the request for personal hearing, as referred to in subparagraph (2).

(4) Where the request for personal hearing has been approved by the Dispute Resolution Committee, such hearing shall be conducted through video conferencing, including use of any telecommunication application software which supports video telephony, to the extent technologically feasible, in accordance with the procedure laid down by the Board.

(5) The Board shall establish suitable facilities for video conferencing including telecommunication application software which supports video telephony at such locations as may be necessary, so as to ensure that the assessee, or his authorised representative, or any other person is not denied the benefit of this Scheme merely on the ground that such assessee or his authorised representative, or any other person does not have access to video conferencing at his end.

13. Proceedings not open to the public.— The proceedings before the Dispute Resolution Committee shall not be open to the public and no person (other than the assessee, his employee, the concerned officers of the Dispute Resolution Committee or the income-tax authority or the authorised representatives) shall, without the permission of the Dispute Resolution Committee, remain present during such proceedings, even on video conferencing or video telephony.

14. Language of the Dispute Resolution Committee.—(1) The language of the Dispute Resolution Committee shall be Hindi or English, at the option of the assessee.

(2) Where any document is in a language other than English or Hindi, an English translation thereof should also be furnished along therewith.

(3) The resolution order and any other order passed by the Dispute Resolution Committee may, at the discretion of the Dispute Resolution Committee, be in Hindi or English.

15. Power to specify format, mode, procedure and processes.— The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall, in consultation with the jurisdictional Principal Chief Commissioner of Income-tax or the Principal Director General of Income-tax, in charge of the Dispute Resolution Committee and with the approval of the Board, lay down the standards, procedures and processes for effective functioning of the Dispute Resolution Committees under this Scheme, in an automated and mechanised environment, including format, mode, procedure and processes in respect of the following, namely:—

- (i) service of the order or any other communication;
- (ii) receipt of any information or documents from the person in response to the notice, order or any other communication;
- (iii) issue of official email-id to the Dispute Resolution Committee;
- (iv) issue of acknowledgment of the response furnished by the person;

- (v) provision of “e-proceedings” facility including login account facility, tracking status of dispute resolution proceedings, display of relevant details, and facility of download if so required;
- (vi) accessing, verification and authentication of information and response including documents submitted during the dispute resolution proceedings;
- (vii) receipt, storage and retrieval of information or documents in a centralised manner; and
- (viii) general administration and grievance redressal mechanism in the respective Dispute Resolution Committees.

[Notification No. 27/2022/F. No. 370142/5/2022-TPL-Part1(Part1)]

SHEFALI SINGH, Under Secy. Tax Policy & Legislation